

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 11, 2001/आश्विन 19, 1923

No. 520]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2001/ASVINA 19, 1923

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2001

का.आ. 774(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इस योजना को कर्मचारी पेंशन (तृतीय संशोधन) योजना, 2001 कहा जाएगा।
(2) यह 1-6-2001 से प्रवर्तन में आएगी।
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में, पैराग्राफ 11 उप पैराग्राफ (3) तथा उसके अंतर्गत दिए गए परंतुक में, जहां कहीं “पांच हजार रुपये/ 5000/- रु०” शब्द तथा अंक आएँ उनके स्थान पर “छः हजार पांच सौ रुपये/ 6500/- रु०” शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

चूंकि कर्मचारियों को 1 जून, 2001 से लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है अतः संशोधनों को तदनुसार पिछली तारीख से लागू किया जाता है।

[फा.सं. एस-65015/2/2001-एस.एस.-II]

उर्मिला शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को भारत के राजपत्र, भाग-II खण्ड 3 (i) में दिनांक 16 नवम्बर, 1995 को सा.का.नि. संख्या 748(अ) के रूप में प्रकाशित किया गया था तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इस योजना को संशोधित किया गया :—

- सा.का.नि. 134 दिनांक 28-02-1996
- सा.का.नि. 376 दिनांक 27-10-1997
- सा.का.नि. 66 दिनांक 06-03-1999
- सा.का.नि. 41 दिनांक 29-01-2000
- सा.का.नि. 383(अ) दिनांक 24-05-2001

Attested
[Signature]
अवर सचिव, प्रकाशक विभाग,
राजपत्र कार्यालय, दिल्ली-110002
21/11/2

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2001

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by section 6A, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees Pension Scheme, 1995, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Employees Pension (Third Amendment) Scheme, 2001.
- (2) It shall come into force from 1-6-2001.

2. In the Employees Pension Scheme, 1995, in paragraph 11 sub-paragraph (3) and the proviso thereunder, for the words and figures "Rupees Five thousand/Rs. 5,000/" wherever they occur, the words and figures "Rupees Six thousand and five hundred/Rs. 6,500/" - shall be substituted.

Explanatory Memorandum

As it has been decided to give the benefit to employees with effect from the 1st June 2001, the amendments are accordingly made effective retrospectively.

[F. No. S-65015/2/2001-SS-II]

URMILA SHARMA, Under Secy.

Foot Note—The Employees Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(i) dated the 16th Nov. 1995 as GSR No. 748(E) and the Scheme was subsequently amended by the following notification:—

- (i) GSR 134 dated 28-02-1996
- (ii) GSR 376 dated 27-10-1997
- (iii) GSR 66 dated 06-03-1999
- (iv) GSR 41 dated 29-01-2000
- (v) GSR 383(E) dated 24-05-2001

Attested
 21/11/12